

भारत में 'अल्पसंख्यक' का नरिधारण

प्रलिमिंस के लयि:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधनियम, 1992, अनुच्छेद-29, अनुच्छेद-30, अनुच्छेद-350(B)

मेन्स के लयि:

भारत में अल्पसंख्यकों का नरिधारण एवं संबधति संवैधानकि प्रावधान, अल्पसंख्यकों से संबधति मुददे ।

चरचा में क्योँ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने [सर्वोच्च न्यायालय](#) को सूचति कयि है कि राज्य सरकारें अब हदुिओं सहति कसी भी धार्मकि या भाषायी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं ।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचकि के संबध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जसिमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लयि दशिा-नरिदेश तैयार करने के नरिदेश देने की मांग की गई थी ।
- 'अल्पसंख्यक' शब्द संवधान के कुछ अनुच्छेदों में दखिई देता है, लेकनि इसे कहीं भी परभाषति नहीं कयि गया है ।

मामला:

- याचकि में कहा गया है कि भारत के छह राज्यों और तीन केंद्रशासति प्रदेशों में हदुि 'अल्पसंख्यक' हैं, लेकनि वे कथति तौर पर अल्पसंख्यकों के लयि बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे ।
 - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लक्षद्वीप (2.5%), मजोरम (2.75%), नगालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%), जम्मू-कश्मीर (28.44%), अरुणाचल प्रदेश (29%), मणपुरि (31.39%) और पंजाब (38.40%) में हदुि अल्पसंख्यक बन गए हैं ।
- इन राज्यों में 'टीएमए पाई फाउंडेशन' वाद (2002) और 'बाल पाटलि' वाद (2005) के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नरिधारति सदिधांत के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा दयि जाना चाहयि ।
 - 'टीएमए पाई फाउंडेशन' वाद (2002):
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणकि संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लयि अल्पसंख्यकों के अधकिारों से संबधति अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लयि धार्मकि एवं भाषायी अल्पसंख्यकों का नरिधारण राज्यवार आधार पर कयि जाना चाहयि ।
 - 'बाल पाटलि' वाद (2005):
 - वर्ष 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'बाल पाटलि' वाद में अपने फैसले में 'टीएमए पाई' वाद के नरिणय का उल्लेख कयि था ।
 - कानूनी स्थति स्पष्ट करती है कि अब से भाषायी और धार्मकि अल्पसंख्यक, दोनों की स्थतिनरिधारति करने की इकाई 'राज्य' होगी ।
- याचकि में दावा कयि गया है कि NCMEI (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शकिषा संस्थान) अधनियम 2004 केंद्र को अत्यधकि शक्ति प्रदान करता है जो 'स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन एवं अपमानजनक' है ।
 - NCMEI अधनियम 2004 की धारा 2(f) भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान करने और उन्हें अधसूचति करने के लयि केंद्र को शक्ति प्रदान करती है ।

केंद्र का रुख:

- केंद्र ने कहा कि याचकिकर्त्ताओं का तर्क सही नहीं है क्योँकि राज्य भी "उक्त राज्य के नयिमें के अनुसार संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में प्रमाणति कर सकते हैं ।
 - केंद्र ने बताया कि महाराष्ट्र ने वर्ष 2016 में यहूदयिों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधसूचति कयि था तथा कर्नाटक ने [उरदू, तेलुगू, तमलि, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हदिी, कोंकणी और गुजराती](#) को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधसूचति कयि था ।
- [संसद](#) और राज्य वधिानसभाओं को अल्पसंख्यकों एवं उनके हतिों के संरक्षण के लयि [समवर्ती](#) सूची के तहत कानून बनाने की शक्ति प्रापत हैं ।

- लद्दाख, मज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणपुर में **यहुदी, बहावाद और हद्दि धरम के अनुयायियों** को अल्पसंख्यक घोषित करने जैसे मामले स्थापित हो सकते हैं तथा उक्त राज्य में अपनी पसंद के शक्ति संस्थानों का प्रशासन एवं राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक की पहचान हेतु दशिया-नरिदेश नरिधारति करने पर संबधति राज्य सरकारों द्वारा वचिर कयि जा सकता है ।
- टीएमए पीई (**TMA Pai**) के फ़ैसले से यह भी पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कसिी समुदाय को '**अल्पसंख्यक**' के रूप में अधिसूचति करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कहीं भी सीमति नही कयि गया है ।
 - अल्पसंख्यकों के हतियों को बढावा देने तथा उनके संरक्षण हेतु कानून बनाने के लयि संवधिन के **अनुच्छेद 246** के तहत संसद को **समवर्ती सूची की प्रवषिटि 20, "आर्थिक और सामाजिक योजना"** के तहत अधिकार दयि गया है ।
 - संसद के पास वधियाी तथा केंद्र सरकार के पास **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधनियिम, 1992** की धारा 2 (सी) के तहत एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचति करने की कार्यकारी कषमता है ।

अल्पसंख्यकों से संबधति संवधानकिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 29:**
 - यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य कषेत्र या उसके कसिी भाग के नविसी नागरकियों के कसिी अनुभाग को अपनकिसि **भाषा, लपि या संस्कृति** को बनाए रखने का अधिकार होगा ।
 - **अनुच्छेद-29** के तहत प्रदान कयि गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त हैं ।
 - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय** ने कहा कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमति नही है, क्योँकि अनुच्छेद में 'नागरकियों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं ।
- **अनुच्छेद 30:**
 - धरम या भाषा पर आधारति सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचिकी शक्ति संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा ।
 - अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमति है और नागरकियों के कसिी भी वर्ग (जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत) तक वसितारति नही कयि जा सकता ।
- **अनुच्छेद 350 B:**
 - मूल रूप से भारत के संवधिन में भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि वशेष अधिकारों के संबध में कोई प्रावधान नही कयि गया था । इसे **7वें संवधानकिक संशोधन अधनियिम, 1956** द्वारा संवधिन में अनुच्छेद 350B के रूप में जोड़ा गया ।
 - यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि एक वशेष अधिकारी की नयुक्ति का प्रावधान करता है ।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचति अल्पसंख्यक:

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा एनसीएम अधनियिम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचति समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है ।
- वर्ष 1992 में NCM अधनियिम, 1992 के अधनियिमन के साथ अल्पसंख्यक आयोग (MC) एक वैधानकिक नकिय बन गया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) कर दयि गया ।
- वर्ष 1993 में पहला सांघिकि राष्ट्रीय आयोग स्थापति कयि गया था और पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सखि, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचति कयि गया था ।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचति कयि गया था ।

स्रोत: द हद्दि